बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-विविध-31/09 470 /खाद्य, पटना/दिनांक 27-01-2010

प्रेषक,

राधा बिहारी ओझा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन
पटना ।

विषय : जन वितरण प्रणाली विक्रेता के कार्यकलाप के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि जन वितरण प्रणाली की निगरानी हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेश से श्री डी0पी0 बधवा, अवकाश प्राप्त माननीय न्यायधीश की अध्यक्षता में केन्द्रीय निगरानी समिति गठित की गई है ।

उक्त समिति की विगत जुलाई, 09 में राज्य के कुछ जिलों में निरीक्षण भ्रमण के दौरान जन वितरण प्रणाली की दुकाने निर्धारित अवधि में बंद पाई गई । साथ ही कुछ जन वितरण प्रणाली की दुकानों के द्वारा उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक मूल्य लिये जाने एवं निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने का मामला प्रकाश में आया है ।

आप अवगत होंगे कि विभागीय पत्रांक 798 दिनांक 04.03.2006 द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के कार्यकलाप के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा **PUCL Vrs UOI and others Civil orignal Jurisdistion writ petition (Civil) No. 196/2001** में पारित आदेश के आलोक में निदेश दिये गये थे जिसमें उपरोक्त बिन्दुओं पर भी कार्रवाई हेतु निदेश दिये गये थे ।

अतः समिति की अनुशंसा के आलोक में पुनः निदेश दिया जाता है कि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को निर्धारित अवधि में दुकान खोलना एवं उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर एवं निर्धारित मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाय ।

विश्वासभाजन
(ह0) 26/1/2010
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र07-ज0वि0प्र0-26/09 470 /खाद्य, पटना/दिनांक 27-01-2010

प्रतिलिपि - सभी उप निदेशक (खाद्य)/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(ह0) 26/1/2010
सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\Drive_F\YEAR 2009\Section (7) Sec_7.doc